



# THE STUDY

DAILY ARTICLE

An Institute for IAS

## HISTORY

BY

MANIKANT SINGH

## क्या दलित मुसलमानों और दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए ?

### चर्चा में क्यों ?

- ◆ हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 2022 में स्थापित न्यायमूर्ति बालकृष्णन आयोग को विरोध देखने को मिला।
- ◆ न्यायमूर्ति बालकृष्णन आयोग का गठन यह जाँचने के लिए किया गया था कि क्या उन दलितों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा दिया जा सकता है, जिन्होंने वर्षों से सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरण किया है।

### विवाद

- ◆ RSS के संगठनों द्वारा दलित धर्मांतरितों को SC का दर्जा देने का विरोध किया गया और दलित ईसाईयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, की जाँच हेतु अकादमिक अध्ययन की मांग कर रहे हैं।

### आयोग

- ◆ केंद्र सरकार द्वारा धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर अध्ययन करने हेतु इस आयोग को गठित किया गया। इसके लिए सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग गठित किया है। सेवानिवृत्त आईएएस रविन्दर कुमार जैन व यूजीसी की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव इसकी सदस्य होंगी।

### क्या 'अस्पृश्यता केवल हिंदुओं में'?

- ◆ हाल ही में प्रस्तुत किए गए कुछ पत्रों पर नौ अलग-अलग सत्रों में चर्चा की जाएगी, जिसमें धर्मांतरण और आरक्षण के विषय के तहत विभिन्न उपसमूहों को शामिल किया जाएगा, जैसे- अनुसूचित जाति और आरक्षण का इतिहास, विकास; संविधान और आरक्षण; और इब्राहिम धर्मों में जाति।

- ◆ आरक्षण के इतिहास में अनुसूचित जाति का दर्जा अस्पृश्यता की प्रथा से संबंधित है, जो दुर्भाग्य से "केवल हिंदू समाज" की एक विशेषता थी। केंद्र के 2019 के हलफनामे में कहा गया है कि दलित ईसाईयों तथा दलित मुसलमानों की तुलना बौद्ध धर्मांतरितों से नहीं की जा सकती है।
- ◆ इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे धर्मों में भी अस्पृश्यता देखी जाती है और साथ ही दलित ईसाईयों तथा मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन किया जाता है। दलित ईसाईयों और मुसलमानों के लिए आरक्षण पर केवल हिंदू दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का सामना करने वाली आबादी के आकार की जाँच के बाद ही विचार किया जाना चाहिए, ताकि मौजूदा अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आरक्षण प्रभावित न हो।

## पक्ष में तर्क

- ◆ आरक्षण नीति गरीबों के लिए अन्य नीतियों से अलग है क्योंकि कुछ समूहों के साथ उनकी नस्ल, रंग, लिंग, , जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है और इसलिए उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता है। इसी भेदभाव से बचाने के लिए उनके लिए विशेष नीतियां विकसित की जाती हैं।
- ◆ हालांकि, हिंदू SC को आरक्षण दिया जाता है और 1956 में सिख धर्म में परिवर्तित दलितों के साथ 1990 में बौद्ध धर्म में परिवर्तित दलितों को भी आरक्षण दिया गया था। इसलिए, यह न केवल हिंदू 'अछूत' हैं, बल्कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म में परिवर्तित 'अछूत' भी हैं, जिन्हें भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- ◆ हालिया मांग है कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी आरक्षण दिया जाए। पहचान के आधार पर भेदभाव करने वाले सभी समूहों को इस तरह के भेदभाव के खिलाफ कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दलित ईसाई करीब 20 साल से आरक्षण की माँग कर रहे हैं।
- ◆ भारत में चर्चों ने एक समिति का गठन किया, इन लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का अध्ययन किया और पाया कि वे गाँव में एक अलग इलाके में रहते हैं तथा चर्चों में और ईसाई शिक्षण संस्थानों तक पहुँचने और इन संस्थानों में रोजगार प्राप्त करने में भेदभाव का सामना करते हैं। इसी प्रकार दलित मुसलमानों के लिए भी सीमित साध्य उपलब्ध कराए गए हैं।

## विपक्ष में तर्क

- ◆ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अस्पृश्यता हिंदू दलितों को पीछे खींच रही है और इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है।
- ◆ इस्लाम और ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म से बहुत अलग हैं। इनमें इब्राहिम परंपराएं हैं और धार्मिक खंड हैं। कुरान या बाइबिल कहीं भी अस्पृश्यता या जाति पदानुक्रम का उल्लेख नहीं करते हैं, जैसा कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है।
- ◆ संविधान हिंदू ढांचे के भीतर लोगों के अनुभवों के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है।
- ◆ बौद्ध धर्म के सिद्धांत अब्राहमिक सिद्धांतों से अलग हैं। जहाँ तक दलित ईसाईयों और मुसलमानों के पिछड़ेपन का सवाल है, राज्य OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) और केंद्रीय OBC सूची में इन्हें पहले से ही आरक्षण प्राप्त है।

## बदलता साहित्य क्या जाति को किसी एक धर्म की विशेषता के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताओं की विशेषता के रूप में परिभाषित करता है?

- ◆ कई जाति-आधारित पदानुक्रम अन्य धर्मों में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन जब SC आरक्षण के संवैधानिक आवंटन की बात आती है, तो वह तर्क का आधार नहीं हो सकता कि ये धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो एक समतावादी मुक्तिदायी ढांचे में शामिल होने की आशा में इन धर्मों में परिवर्तित हुए हैं।
- ◆ मुस्लिम या ईसाई समुदायों के भीतर, भेदभाव वह नहीं है जिसे हम अस्पृश्यता कह सकते हैं; ये जातीय अंतर और अलगाव हैं। पी. सनल मोहन, मॉडर्निटी ऑफ़ स्लेवरी में, औपनिवेशिक केरल में जाति असमानता के खिलाफ संघर्ष और ईसाई धर्म के साथ उनके प्रयास के बारे में बात करते हैं। ईसाई धर्म के भीतर धर्मान्तरित लोगों के अनुभव हिंदू या बौद्ध तह के भीतर दलितों के अनुभवों से भिन्न थे।

## क्या जातिगत भेदभाव के अलावा, नए धर्म के भीतर आंतरिक पदानुक्रमों के कारण धर्मान्तरित लोगों को भी भेदभाव के अन्य रूपों का सामना करना पड़ सकता है ?

- ◆ बौद्ध धर्म और सिख धर्म के बीच, ईसाई धर्म एवं इस्लाम के बीच, कोई धार्मिक अंतर नहीं है कि चारों धर्म समानता में विश्वास करते हैं।
- ◆ 'अछूत' जो बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म में परिवर्तित हो गए, उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है और इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया है।
- ◆ लेकिन 'अछूतों' को धर्मांतरण के बाद भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है।
- ◆ यदि भेदभाव, अलगाव, किसी प्रकार की अस्पृश्यता है, तो इन लोगों को भेदभाव से सुरक्षा की आवश्यकता है। यदि संविधान कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, गैर-भेदभाव के सिद्धांत की गारंटी देता है, और यदि धर्मांतरण के बाद भी भेदभाव जारी रहता है, तो यह संविधान का दायित्व है कि जिस भी रूप में आरक्षण और कानून प्रदान करना चाहता है, सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- ◆ क्या 'अछूत' जो ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं, जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। अगर उन्हें उच्च जाति के मुसलमानों और ईसाईयों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- ◆ क्या उन्हें भूमि बाजार, श्रम बाजार, शिक्षा आदि में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इससे उनकी गरीबी, आय, रोजगार प्रभावित होता है। फिर सरकार के पास एकीकरण के लिए निर्णय करने या न करने के लिए एक उचित डेटाबेस भी होना चाहिए।

## धर्मान्तरित हिंदुओं का भेदभाव

- ◆ तमिलनाडु में, 'अछूत' जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, 'अछूत' हिंदुओं के साथ अलग-अलग इलाकों में रहते हैं। इसलिए, उन्हें न केवल उच्च जाति के ईसाइयों से, बल्कि सर्वर्ण हिंदुओं से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- ◆ इस्लाम कबूल करने वालों के बारे में हमारे पास कम जानकारी है क्योंकि वह पुराना धर्मांतरण है। लेकिन 'अछूत' धर्मान्तरित 'उच्च जाति' और खान जैसे उच्च दर्जे के मुसलमानों द्वारा जातिगत भेदभाव का भी सामना करते हैं। इसलिए, उन्हें इस्लाम के भीतर जाति और धर्म के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

## मौजूदा अनुसूचित जाति समुदायों पर समावेशन के संभावित प्रभाव को देखते हुए आयोग को किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए?

- ◆ सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार-विमर्श करना चाहिए कि क्या इन दोनों धर्मों में पदानुक्रम का ढांचा समान है, जो जाति या जाति-आधारित पदानुक्रम की रेखा के साथ है।
- ◆ इसके अतिरिक्त, दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की 'दलितता' को सामाजिक-मानवशास्त्रीय रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता है क्योंकि अनुसूचित जाति एक धार्मिक श्रेणी नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से दलित वर्ग को अनुसूचित जाति सूची में जोड़ा जा रहा है।

## केंद्र के 2019 के हलफनामे

- ◆ इसके तहत कहा गया कि दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों की तुलना बौद्ध धर्मांतरितों से नहीं की जा सकती।
- ◆ यह हलफनामा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 2011 की सिफारिश के खिलाफ है। 2019 में यह भी कहा गया है कि जो दलित बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, उनकी तुलना इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वालों से नहीं की जा सकती है।
- ◆ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) द्वारा 2011 के अनुसार दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश दो मानदंडों के आधार पर की गयी थी- पहली, अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करें जैसा कि उन्होंने धर्मांतरण से पहले किया था; और अगर वे अस्पृश्यता के कारण सामाजिक अक्षमताओं का सामना करना जारी रखते हैं, तो उन्हें आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- ◆ जबकि NCSC ने इस तरह के धर्मांतरितों की स्थिति में एक स्वतंत्र अध्ययन की कमी को स्वीकार किया था, उसने सिफारिश की थी कि जब तक ऐसा अध्ययन पूरा नहीं हो जाता, तब तक दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को एससी श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।
- ◆ NCSC की यह सिफारिश 2000 और 2003 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा क्रमशः दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को SC के रूप में शामिल करने के प्रस्तावों को खारिज करने के बाद आई थी।

## RGI की मंजूरी

- ◆ 1956 में एक संशोधन द्वारा सिख समुदायों को और 1990 में एक संशोधन द्वारा बौद्ध समुदायों को शामिल किया गया था - जिनमें से किसी को भी उस समय के नियमों के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। समुदायों को शामिल करने के लिए आरजीआई की मंजूरी को 1999 में तैयार किए गए तौर-तरीकों में अनिवार्य कर दिया गया था।
- ◆ RGI के अनुसार 2001 में संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के प्रावधान के अनुसार शामिल करने के लिए "एकल जातीय समूह" के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि दलित ईसाई और दलित बौद्ध धर्मांतरण के बाद अपनी जातिगत पहचान खो देते हैं।

